भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2424
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों की शिकायतें</u>

2424. श्रीमती रमा देवी :
श्री लक्ष्मी नारायण यादव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने निवेशकों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करने के लिए किसी कंपनी के विरूद्ध कार्रवाई की है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कंपनियों पर कार्रवाई करने के बावजूद किसी कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): जी, हां। मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त निवेशकों की शिकायतें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित कंपनियों को अग्रेषित की जाती हैं। यदि कंपनी शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान नहीं करती है और/या कंपनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करती हुई पायी जाती है तो कंपनी अधिनियम, 2013/1956 के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

(ग) और (घ): वर्ष 2012-13 में 73 कंपनियों, 2013-14 में 66 कंपनियों और 2014-15 में 102 कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों की शिकायतों के संबंध में अभियोजन शुरू किए गए हैं।

*****